कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1955/12–1 देहरादूनः दिनांकः 31 जनवरी, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– **जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 02 से कलियाबगड़ गोगिनापानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.469 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/155257/2022)

सन्दर्भ :– भारत सरकार की पत्र सं0 0बी.यू.सी.पी./06/79/2023/एफ.सी. दिनांक 27–03–2024।

महोदय,

प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 2104/12–1–2 दिनांक 11–12–2024 से भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र से लगाई गई आपित्तयों की अनुपालन आँख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 1506/12–1(2) दिनांक 19–12–2024 से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गई है–

क.०सं०	अधिरोपित शर्तें	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	The status of proposed CA land (Van panchayat) is requested to be clarified by the state Government. Further, a clarification shall be furnished that there is no claim of anybody on the proposed CA land.	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 2104/12–1–2 दिनांक 11–12–2024 से अवगत कराया गया है कि उक्त नायल वन पंचायत भूमि के legal status के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम महनरबूंगा श्रेणी 9(3)क वन पंचायत के नाम दर्ज है। आख्या संलग्न है। **(संलग्नक–1)**

अतः उपरोक्त प्रकरण में उपरोक्तानुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना के कम में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथा संशाधित 2023 के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1955/12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

2– प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

166

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक – 1506 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 19/12/ 2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 02 से कलियाबगड़ गोगिनापानी मोटर मार्ग के निमार्ण हेतु 1.469 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निमार्ण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–155257 / 2022)**

सन्दर्भ :– **प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी वन संरक्षक देहरादून का पंत्राक 2566 / 12–1 दिनांक 14.06.2024 ।**

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर, के पत्रांक– 2104 / 12–1(2) दिनांक– 11.12.2024 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

(डॉ धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रभारी बागेश्वर
आ० का० केन्द्र।

प्र० व० नि०/ नो०
24-12-24

संरक्षक ... निदेशालय
2524
12-1
28-12-24

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com
दूरभाष एवं फैक्स नं0: 05963-220249 वन मित्र काल सेटर– 9208008000

पत्रांक 2104/ 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 11 / 12 /2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 02 से कलियाबगड़ गोगिनापानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.469 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/155257/2022)

सन्दर्भ :– प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून का पत्रांक 2566 / 12–1 दिनांक 14.06.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है, कि उक्त प्रस्ताव में प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून द्वारा जो आपत्तिया लगायी गयी है, आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्ताव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु स0 1	The legal status of proposed CA land (Van Panchayat) is requested to be clarified by the state Government. Further, a certification shall be furnished that there is no claim of anybody on the proposed CA land.	उक्त नायल वन पंचायत भूमि के legal status सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम मेहनरबूंगा श्रेणी 9(3) क वन पंचायत के नाम दर्ज है। अख्या संलग्न है। (छायाप्रति संलग्न)।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(धुव सिंह मर्तोलिया)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

"D:\samany 2018-19\land transfer\letter land tansfare.p.w.d BGR .docx"

सामान्य
09/12/2024

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर

पत्रांक – 3459/2ई0व0भू0, दिनांक 05/12/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय :– जनपद बागेश्वर में गोगिनापानी से कलियाबगड़ होते हुए मण्डलसेरा बाइपास मोटर मार्ग का निर्माण। प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/23202/2016

संदर्भ– :– Online Objection Dtd, 11.09.2024

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक EDS का अवलोकन करने का कष्ट करें। लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण कर निम्नवत Online Upload कर दिया गया है।

क्र0सं0	लगायी गयी आपत्ति	आपत्ति का उत्तर
1	The legal status of proposed CA land (Van Panchayat) is requested to be clarified by the state Government. Further, a certification shall be furnished that there is no claim of anybody on the proposed CA land.	उपजिलाधिकारी बागेश्वर का पत्रांक 976/रा0अ0–क्षतिपूरक वृक्षारोपण/2022–23 दिनांक 11 नवम्बर,2024 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयन की गई वन पंचायत की भूमि का स्वामित्य एवं अनापत्ति के संबंध में आख्या आपको प्रेषित की गई है (छायाप्रति संलग्न)।

Please upload the same from your end.

(Sanjay Kumar Pandey)
Executive Engineer
Provincial Division PD,PWD
Bageshwar.

प्राप्ति संख्या 2449
दिनांक 09/12/2024
शा... 12-12-24
फाइल ...
आवश्यक कार्यवाही करें।

प्र0 व0 अ0

... प्र0शा0 अधि0

स्तामा-2
11/11/2024

कार्यालय उपजिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या-976/रा0अ0–क्षतिपूरक वृक्षारोपण /2022–23 दिनांक 11 नवम्बर, 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, बागेश्वर।

विषय– जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत मण्डलसेरा मोटरमार्ग के कि0मी0 से कलियाबगड़–गोगिनापानी मार्ग निर्माण हेतु 01.469 है0 वन भूमि को गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या–1013/12–1–2 बागेश्वर दिनांक–06.09.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने कष्ट करें। जिसमें मण्डलसेरा मोटर मार्ग से कि0मी0 से कलियाबगड़–गोगिनापानी मार्ग निर्माण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वन पंचायत भूमि ग्राम मेहनबूंगा के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा चाही गयी सूचना के सम्बन्ध में आख्या उपलबध कराये जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार, बागेश्वर से आख्या प्राप्त की गयी।

तहसीलदार, बागेश्वर के माध्यम से प्राप्त आख्या में अवगत कराया गया है कि मण्डलसेरा मोटर मार्ग के कि0मी0 से कलियाबगड़–गोगिनापानी मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षोरोपण के लिए ग्राम मेहनरबूंगा तहसील बागेश्वर के गैर ज0वि0ख0खा0संख्या–07 श्रेणी 9(3) क के पैमाइसी खसरा संख्या–241 रकवा 0.048 है0, खसरा संख्या–245 रकवा 01.970 है0, खसरा संख्या–246 रकवा 0.063 है0, खसरा संख्या–243 रकवा 0.019 है0, खसरा संख्या–183 रकवा 0.731 है0, खसरा संख्या–184 रकवा 0.033 है0 व खसरा संख्या–185 रकवा 0.074 है0 कुल रकवा 02.938 है0 भूमि कलियाबगड़, गोगिनापानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 01.469 है0 की दोगुनी भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है। उक्त भूमि पूर्व में श्रेणी 9(3) ग गौचर के खेत संख्या–241, 245, 246, 243 रकवा 02.100 है0 एवं श्रेणी 9(3) ड़ बंजर काबिल आबाद के खेत संख्या–183, 184, 185 रकवा 0.838 है0 इस प्रकार उक्त दोनों श्रेणी की भूमि के कुल 07 खसरा रकवा 02.938 है0 है। जो वर्तमान में श्रेणी 9(3) क वन पंचायत मेहनरबूंगा के नाम दर्ज अभिलेख है, वर्तमान समय में उक्त भूमि राज्य सरकार के कब्जे व स्वामित्व में है, उक्त भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण किये जाने पर किसी को काई आपत्ति नहीं है।

अतः उपर्युक्तानुसार प्रकरण में तहसीलदार, बागेश्वर के माध्यम से प्राप्त आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

उपजिलाधिकारी,
बागेश्वर।

जायन [redacted] 2019
नाक 11/11/2024
[redacted]
इल [redacted] 12-1-2
विरश्क [redacted]।

प्रशा0 अधि0 प्र0 व0 अ0

उत्तराखण्ड
वन विभाग

41/2024-25

सेवा में, श्रीमान तहसीलदार महोदय बागेश्वर।

विषय :- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत मण्डलसेरा मोटरमार्ग के कि.मी. से कठियाबगड़, गोगिनापाली मार्ग निर्माण हेतु 1.469 है० वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,
उपरोक्त विषयक पत्र में आपके पृष्ठांकित आदेश के अनुपालन में अवगत कराना है कि मण्डलसेरा मोटरमार्ग के कि.मी. से कठियाबगड़ गोगिनापाली मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए मेहनरबूंगा के गै०ज०वि०ख० आ० सं० 07 श्रेणी 9(3)क के पैमाइशी खसरा नम्बर 251/0.048 है०, 255/01.970 है०, 256/0.063 है०, 253/0.019 है०, 183/0.731 है०, 184/0.033 है०, 185/0.074 है० कुल 2.938 है० भूमि कठियाबगड़, गोगिनापाली मोटरमार्ग के निर्माण हेतु 1.469 है० का दुगुना भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है। उक्त भूमि वर्ग में श्रेणी 9(3)ग के खेत नम्बर 251, 255, 256, 253 रकबा 2.100 है० एवं श्रेणी 9(3)ङ के खेत नम्बर 183, 184, 185 रकबा 0.838 है०, उक्त दोनों श्रेणी की भूमि के कुल 07 खेत कुल रकबा 2.938 है० है। जो वर्तमान में श्रेणी 9(3)क वन पंचायत मेहनरबूंगा के नाम दर्ज है। वर्तमान समय में उक्त भूमि राज्य सरकार के कब्जे व स्वामित्व में है। उक्त भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नामान्तरण किये जाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है।
अतः: रिपोर्ट मय आख्या सादर सेवा में प्रेषित।

ह०
रा०उपनिरीक्षक
काण्डे
23/10/2024

उपजिलाधिकारी महोदय बागेश्वर को राजस्व उप निरीक्षक काण्डे की रिपोर्ट प्रभागीय वनाधिकारी महोदय बागेश्वर को भेजने हेतु सेवा में सादर प्रेषित।

ह०
[redacted]
20/11/24